

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सिकन्दरा (दौसा)

क्रमांक :- 2555

दिनांक :- 24.9.18

To,

Nodal Officer
FCA, Aranya Bhawan,
Jaipur

Sub.:- Reply for Diversion of 0.99 Ha. of forest land in favor of Executive Engineer, PWD, Sikandra, Rajasthan, Jaipur for construction of Missing Link Road From Udaipura Road to Toda Bheem Road Proposal No. FP/RJ/ROAD/26222/2017

Ref.:- Letter No. F 14 () 2016/FCA/PCCF/CCF EDS-I Dated 7.08.2018

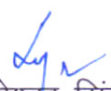
Sir,

In Reference to above subjected letter proposal for the Diversion of 0.99 Ha. of forest land for construction of Missing Link Road From Udaipura Road to Toda Bheem Road has been examined in the office of Nodal Officer FCA, Aranya Bhawan, Jaipur with some observations and directed to convey with necessary rectifications.

In compliance of above letter the point wise reply for the following observation submitted as under:-

Sr. no	Observations	Reply
1.	मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा पार्ट-III में 0.99 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन से सहमति अभिशंषा की गई है जबकि प्रस्ताव में उनके अधीनस्थ वन मंडल दौसा के द्वारा मात्र 0.4896 है0 वन क्षेत्र ही प्रत्यावर्तन हेतु अभिशंषा की गई है। अतः संशोधित पार्ट-III संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक, करौली से सम्बन्धित है।
2.	उप वन संरक्षक करौली के ऑनलाईन प्रस्ताव में 4 वृक्ष आना अंकित किया गया जबकि हार्ड प्रति में संलग्न पार्ट-II में अंकित नहीं है। प्रस्ताव में उप वन संरक्षक वृक्षों की सूची संलग्न नहीं की गई है।	उप वन संरक्षक, करौली से सम्बन्धित है।
3.	उप वन संरक्षक करौली द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के रूप में प्रत्यावर्तित वन भूमि का दुगुना क्षेत्र में लिया गया है जबकि उप वन संरक्षक दौसा द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की एवज में कोई राशि नहीं ली गई है। प्रस्ताव 1 है0 से कम का है अतः काटै जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कानर्स अंकित नहीं किये गये हैं। एवं जी0टी0शीट भी उचित स्केल पर अपलोड नहीं की गई है।	उप वन संरक्षक, करौली से सम्बन्धित है।
4.	उप वन संरक्षक करौली द्वारा चौकी निर्माण हेतु राशि 10.00 लाख की मांग की गई है जो उचित प्रतीत नहीं होता है अतिक्रमण रोके जाने हेतु दीवार बनवाई जा सकती है। तदनुसार संशोधित अभिशंषा भिजवाया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक, करौली से सम्बन्धित है।
5.	उप वन संरक्षक करौली द्वारा पार्ट-I एवं पार्ट-II किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये गये जो प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक, करौली से सम्बन्धित है।

6.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार प्रमाण पत्र एवं जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7.	एरिया केलकुलेशन शीट में प्रस्तावित वन क्षेत्र पी0एफ0 अंकित किया गया है जबकि करौली जिले का वन क्षेत्र आरक्षित वन की श्रेणी में आता है संशोधित शीट लगाया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित शीट संलग्न कर दी गई है।
8.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट-1 के बिन्दु संलग्न DGPS map में वन भूमि के सम्पूर्ण कानर्स के अक्षांश देशान्तर संलग्न नहीं किये गये हैं।	DGPS map में वन भूमि के सम्पूर्ण कानर्स के अक्षांश देशान्तर अंकित कर पुनः संलग्न कर दिया गया है।
9.	यूजर ऐजेन्सी ने कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना अवगत कराया गया है इस पर उप वन संरक्षक करौली एवं दौसा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है। विकल्पो का विवरण भी संलग्न नहीं किया गया है।	सड़क के एक तरफ आबादी को क्षेत्र हैं एवं दूसरी तरफ पहाड़ी का बड़ा क्षेत्रफल आ जाता है जिस कारण से कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।
10.	यूजर ऐजेन्सी द्वारा 9 मीटर चौड़ाई में मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका ले आउट प्लान दिया जाना प्रस्तावित है।	9 मीटर चौड़ाई मार्ग का ले-आउट प्लान संलग्न कर दिया गया है।
11.	प्रस्ताव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चेनऐज संख्या 0/220 से 0/937 तक पहाड़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण किया जाना अंकित है जबकि संलग्न क्रॉस सेक्शन में 0/400 से 1/150 तक पहाड़ी क्षेत्र में सड़क बनाया जाना अंकित किया गया है। प्रस्ताव में पहाड़ी की कटाई सम्मिलित है कटाई के दौरान निकाले गये मलबा के संबंध में मलबा निस्तारण योजना संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्य स्वीकृति के प्रारंभ में बनाई गई थी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो चेनऐज संख्या अंकित की गई है वो संशोधित प्रस्ताव के अनुसार फोरेस्ट भूमि में रोड का एलायमेंट बदल जाने के कारण चेनऐज संख्या में परिवर्तन किया गया है जो संलग्न क्रॉस सेक्शन में अंकित है उसे माना जाये। पहाड़ी की कटाई के दौरान निकाले गये मलबे को वन सीमा के बाहर कर दिया जायेगा। संशोधित क्रॉस सेक्शन संलग्न है।
12.	यूजर ऐजेन्सी दोनों प्रस्तावों को सम्मिलित कर एकजोई प्रस्तुत करे एवं समस्त पृष्ठों में हस्ताक्षर मय नाम पद सील दिनांक के प्रस्तुत किये जावें।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा दोनों प्रस्तावों को सम्मिलित कर एकजोई कर एवं समस्त पृष्ठों में हस्ताक्षर मय नाम पद सील दिनांक के प्रस्तुत कर दिया जावेगा।


 (रामेश्वर सिंह)
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा0 नि0 वि0 खण्ड सिकन्दरा